बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC-563

प्रेषक,

एस० के० सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 19/08/2016

विषय – जहानाबाद एवं गया जिलान्तर्गत NH-83 पटना–गया–डोभी पथ के लिये फ्लाई ओभर एवं वाहन अण्डरपास निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जहानाबाद एवं गया जिलान्तर्गत NH-83 पटना–गया–डोभी पथ के लिये फ्लाई ओभर एवं वाहन अण्डरपास निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन का परियोजना निदेशक, NHAI, गया का प्रस्ताव, वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार कि अधिसूचना संख्या 189 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है।

विषयाधीन पथ में तीन स्थलों पर जहाँ NH-83 पटना–गया–डोभी पथ प्रतिच्छेद (Intersect) करता है उस बिन्दु (Point) पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि का अपयोजन होना प्रस्तावित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

क्रम सं०	वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित पथांश	क्षेत्रफल (हे० में)	वन प्रमंडल का नाम
1	जहानाबाद–करपी–अरवल पथ 32.872–32.812 कि.मी.	0.179	गया
2	गया–पंचानपुर (टिकारी) पथ 8.01–7.79 कि.मी.	0.65	
3	गया–चेरकी–शेरघाटी पथ 7.46–7.24 कि.मी.	0.65	
	कुल	1.47	

उपर्युक्त तालिका के अनुसार कुल 1.47 हे० वन भूमि के अपयोजन का आकलन किया गया है। वन भूमि अपयोजन के क्रम में 40 वृक्ष, 6 पोल साईज Crops, 31 लौह गैबियन के पौधों एवं 210 पौधों (Sapling) के पातन का आकलन किया गया है।

पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट एवं अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

मोबाईल न० 8986153129 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है, वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में यह अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, जहानाबाद एवं गया द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) का प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी छायाप्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अपयोजित होने वाली वन भूमि के दुगुने अवकृष्ट वन में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये स्थल चिन्हित करते हुए प्राक्कलन समर्पित किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना में अपयोजित होने वाली 1.47 हे० वन भूमि के लिये 6.26 लाख प्रति हे० के दर से कुल रू० 9,20,220/– (नौ लाख बीस हजार दो सौ बीस) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गया वन प्रमंडल में 3 हे० अवकृष्ट वन भूमि गया वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत चन्ना एवं चमाड़ी पी० एफ० में चिन्हित कि गयी है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है, वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(एस० के० सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-563 दिनांक– 19/08/2016

प्रतिलिपि – परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/16
(एस० के० सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

मोबाईल न० 8986153129 · ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com